



राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर।

पीठासीन प्राधिकारी- अरविन्द कुमार जाखड़ रा.प्र.से.

अपील सं. 06/2019

उनवान

1. उगनाराम पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
2. श्रीमती बालीदेवी पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
3. श्रीमती रतनीदेवी पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
4. श्रीमती भगवतीदेवी पिसरान श्री कानाराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
5. श्रीमती मोहनीदेवी बेवा श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
6. पुनमराम पुत्र श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
7. दुर्गा पुत्री श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
8. मधु पुत्री श्री भवरराम श्री भवरराम जाति नायक निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर

—अपीलान्त

बनाम

1. पुष्पा पुत्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार

—रेस्पोंडेन्टान

उक्त अपील अंतर्गत धारा 23(1) आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 विरुद्ध आदेश दिनांक 03.08.2007 सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत।

उपस्थिति-

प्रार्थी की ओर से- विद्वान अभिभाषक श्री रणजीतसिंह निर्वाण

अप्रार्थी सं० 01 की ओर से- विद्वान अभिभाषक श्री राजेन्द्रसिंह शिमला

अप्रार्थी सं० 02 की ओर से- पैराकराज

निर्णय दिनांक :- 21/07/2019

निर्णय

1. यह उक्त अपील 06/2019 धारा 23(1) आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम मु० कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः 03.08.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्तगण के दादा व पिता व ससुर श्री कानाराम पुत्र आशाराम जाति नायक के नाम से वाके रोही ग्राम कावनी के खेत खसरा नं० 134 में 168.15 बीघा बारानी भूमि सम्वत् 2012 पूर्व से चली आ रही है जिस पर अपीलान्तगण आज दिनांक तक अपने खेत की बाड करके मौके पर ढाणी बनाकर काबिज होकर लगातार काश्त करते चले आ रहे है। जो कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना व लिपीकिय भूलवंश सम्वत् 2029 से 32 में आराजी राज दर्ज कर दी गई जिसके विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.

ए. एवं 136 एल.आर.एक्ट के तहत न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें दिनांक 02.04.2012 से अन्य आदेश तक रिकार्ड कि स्थिति यथावत रखने का आदेश जारी है। अपीलान्त की पुश्तैनी भूमि में से अर्थात् ग्राम कावनी के खेत खसरा नं० 134 में 168.15 बीघा भूमि में से 30 बीघा भूमि का रैस्पोज संख्या 01 को बतौर आरजी काश्त के वर्ष 1978 को आवंटन फरमाया गया। इसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके का ज्ञान किये बिना आदेश अधिनस्थ न्यायालय पारित कर भारी विधिक भूल की है अतः आदेश अधिनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व न्याय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तीनों अपीलों में आवंटन दिनांकों से आज तक रैस्पोज सं० 1 का आराजी जैर बहस कभी कोई किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका का ध्यान किये बिना आराजी जैर बहस को टी.सी. से पुख्ता आवंटन कर भारी विधिक भूल की है। रैस्पोज सं० 1 को आवंटित भूमि अपीलान्तगण कि पुश्तैनी भूमि है तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना लिपीकिय भूल वंश सम्बत् 2029-32 में आराजी राज दर्ज कर दी गई थी जिसके विरुद्ध न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर में वाद जैरकार है तथा आराजी जैर बहस मुलतय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कि भूमि है जिसमें किसी भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आवंटन नहीं किया जा सकता फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानून न्याय व नैसगिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर आदेश अधि० न्यायालय पारित कर भारी विधिक भूल है।

3. वकील अपीलांत ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांतगण सं० 1 ता 4 के पिता व अपीलांतगण संख्या 5 के ससुर व अपीलांतगण सं० 6 ता 8 के दादा श्री काना वल्द आशा कौम थोरी (नायक) के नाम से सम्बत् 2012 से पूर्व से वाके रोही ग्राम कावनी के खेत खसरा नं० 134 में 168.15 बीघा व खसरा नं० 200 में 127.8 बीघा भूमि चली आ रही थी जिसकी फोटो स्टेट प्रति नकल जमाबंदी सम्बत 2014 संलग्न अपील है। आराजी जैर बहस पर अपीलांतगण के पूर्वज के समय से अपीलांतगण का आज दिनांक तक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। आराजी जैर बहस के आराजी राज दर्ज रिकार्ड राजस्व होने का ज्ञान होने पर दिनांक 21.12.2011 को अपीलांतगण द्वारा न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर में वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटी एक्ट एवं धारा 136 एलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 02.04.2012 को अन्य आदेश तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा अपीलांतगण का वाद आज दिनांक तक विचारण न्यायालय में जैरकार है व अस्थाई निषेधाज्ञा आज दिनांक तक जैरकार है। आराजी जैर बहस अपीलांतगण की पुश्तैनी भूमि है तथा अपीलांतगण एससी/एसटी से सम्बन्धित व्यक्ति है फिर भी अपीलांतगण की भूमि रैस्पोज संख्या 1 को टी.सी. आवंटन कर दी गई तथा मौके पर आज दिनांक तक अपीलांतगण का ही कब्जा व काश्त रहा है। रैस्पोज सं० 1 को टीसी आवंटित कृषि भूमि वाके रोही ग्राम कावनी के खेत खसरा नं० 134/01 की 30 बीघा भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु रैस्पोज सं० 1 का मौके पर कब्जा व काश्त न होने व सम्बत् 2042 से रकबा भू राजस्व कायमी से खारिज किया हुआ है इस कारण खातेदारी अधिकार रैस्पोज सं० 1 को नहीं दिये गये रिपोर्ट संलग्न लिखित बहस है। मुताबिक नियम किसी भी एससी/एसटी की आराजीराज हुई भूमि को किसी भी प्रकार से किसी अन्य रवर्ण जाति के व्यक्ति को आवंटन नहीं की जा सकती यदि आवंटन की जाती है तो वह भी एससी/एसटी के व्यक्ति को ही आवंटन की जा सकती है तथा पूर्व में भी किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति की भूमि आराजीराज (सिलिंग आदि से) दर्ज रिकार्ड राजस्व होने पर एक अनुपात में उसी भूमि को एससी/एसटी के आवंटन



हेतु रिजर्व की जाती थी व आवंटन भी एससी/एसटी व्यक्ति को ही किया जाता था। परन्तु यहां पर विधि विरुद्ध तरीके से एससी/एसटी की भूमि रेस्पोजेन्ट सं० 1 जो स्वर्ण जाति की है को आवंटन किया गया है जो आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत रेस्पोजेन्ट वकील ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कावनी 1959 में उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर नियमानुसार वादग्रस्त कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15(ए) के अन्तर्गत आराजीराज दर्ज कर दिया गया था। जिससे वादग्रस्त कृषि भूमि शुद्ध रकबा राज हो गयी थी। जिसके विरुद्ध यदि अपीलान्ट का कोई हक था तो उक्त आदेश को चैलेन्ज करने के कारण वेव हो चुका है जिसकी घोषणा इस अनवान सदर के वाद के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता। उक्त कृषि भूमि आराजीराज दर्ज होने के पश्चात रेस्पोजेन्ट पुष्पा को दिनांक 25.07.1978 को टी.सी. आवंटन के रूप में आवंटित की गयी थी तदुपरान्त तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जा दे दिया गया था। जिसको आज दिनांक तक बेदखल नहीं किया गया है। कब्जा काश्त के आधार पर आवंटि का टी.सी. आवंटन के आधार पुख्ता आवंटन कर दिया गया था। समस्त किश्त एक मुश्त दिनांक 05.08.2007 अदा करने पर दिनांक 08.10.2009 को खातेदारी हक हकूक प्रदान करते हुए प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी सनद जारी कर दी गयी। उक्त खातेदारी के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी थी। प्रार्थीनी का आवंटन का आदेश खातेदारी आदेश में मर्ज हो चुका है। इसलिए उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार अपीलान्टगण को नहीं है। इस आधार पर भी अनवान सदर की अपील चलने योग्य नहीं है काबिज निरन्तर के है। वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट की हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त की नहीं थी न ही कोई ऐसा आदेश अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वज के पक्ष में था। जिससे अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ हो। सम्वत 2014 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के अपीलान्ट के पूर्वज कानाराम का अंकन राजस्व आमला से मिलकर अंकित करवा लिया गया था। मौके पर कब्जा काश्त नहीं था। इससे अपीलान्ट को किसी प्रकार के हक हकूक उत्पन्न नहीं होते। ग्राम कावनी राज्यादेश से सन् 1959 में उपनिवेशन क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। जिसकी अनुपालना में नियमानुसार समस्त काश्तकारान की भूमि को राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज किया जाकर राजकीय भूमि घोषित की गयी थी। जिसके विरुद्ध अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वक द्वारा कोई चाराजोई नहीं करने के कारण उनके अधिकार कोई थे भी तो वह वेव हो चुके थे। अब किसी भी प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी अपीलान्ट नहीं है। उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हाने पर कृषि भूमि आराजीराज होने पर कानाराम के नाम से ख० नं० 134 में 20 बीघा टी.सी. पर आवंटन बाद में बुधाराम के नाम से टी.सी. आवंटन की जाकर बाद में पुख्ता आवंटित कर दी गयी जो वर्तमान में खातेदारी की है। जिसके वर्तमान ख० नं० 134/2 है। ग्राम कावनी उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर दिनांक 25.07.1978 को खसरा संख्या 134 तादादी 30 बीघा मु० पुष्पा पुत्री भगवान सिंह दरोगा निवासी कावनी तहसील व जिला बीकानेर को आरजी काश्तकार के रूप में आवंटन की गयी थी। जिसका नियमित रूप से नवीनीकरण होता रहा एवं दिनांक 11.09.2007 को पुख्ता कीमतन आवंटन करते हुए मु० पुष्पा के हक में आवंटन आदेश जारी किया गया। मु० पुष्पा द्वारा दिनांक 05.08.2007 को रुपये 8100/- रुपये खजाना राज में जी.ए. 55 द्वारा जमा करवाये गये थे। तदुपरान्त आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के द्वारा दिनांक 08.10.2009 को श्रीमती पुष्पा के हक में खातेदारी सनद जारी कर दी गयी थी। जिसकी अनुपालना में राजस्व रिकार्ड बहैसियत खातेदार श्रीमती पुष्पा के नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में हो गया था। श्रीमती पुष्पा ने अपने हक हकूक की





खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही कावनी खसरा सं० 134/5 तादादी 30 बीघा में से 20 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनाम दिनांक 06.01.2017 को श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री माधोसिंह जाति राजपूत निवासी सहनाली बड़ी तहसील व जिला चुरु के हक में वैय कर दी थी। मौके पर भौतिक व वास्तविक कब्जा सुपुर्द कर दिया था। जो वर्तमान में श्री रेस्पोजेन्ट हिम्मत सिंह काबिज काश्त है। श्रीमती पुष्पा ने अपने हक हकूक की खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही कावनी खसरा सं० 134/5 तादादी 30 बीघा में से 10 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 06.01.2017 को श्री पदम सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी सहनाली बड़ी व तहसील व जिला चुरु के हक में वैय कर दी थी। मौके पर भौतिक वास्तविक कब्जा सुपुर्द कर दिया था। जो वर्तमान में श्री रेस्पोजेन्ट पदम सिंह काबिज काश्त है। दावाधीन कृषि भूमि में से अधिकतम भूमि उपनिवेशन विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न लोगों को आवंटित की गयी थी जिनमें से अधिकांश को खातेदारी हक हकू प्रदान किए जा चुके हैं। इन तथ्यों को छिपाकर अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। अर्थात् न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से नहीं आये है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र अपीलान्ट पक्षकारान के कुसंयोजन के आधार पर काबिज निरस्त के है। अपीलान्ट के पूर्वज का नाम राजस्व रिकार्ड में मिलीभगत के द्वारा आ गया था जिसको विधि सम्मत तरीके से हटाया गया, के विरुद्ध अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वजों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण अपीलान्ट के वादग्रस्त कृषि भूमि में यदि कोई अधिकार थे भी तो वे वेव हो चुके हैं। इस वाद पत्र के माध्यम से उनकी घोषणा नहीं करवायी जा सकती। ग्राम कावनी की कृषि भूमि अराजी राज घोषित होने पर श्रीमती पुष्पा पुत्री भगवान सिंह को अराजी काश्तकार के रूप में आवंटित हुई थी। जिसके विरुद्ध अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वजों के द्वारा कोई कार्यवाही अन्दर मियाद नहीं की गयी। जिससे उक्त आदेश अंतिम आदेश हो चुका है। ग्राम कावनी की कृषि भूमि अराजी काश्तकार के रूप में आवंटित हुई। जिसके पुख्ता आवंटन का आदेश दिनांक 11.09.2007 को आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के द्वारा जारी किया गया था। जिसकी आवंटी के पक्ष में खातेदारी सनद दिनांक 08.10.2009 को श्रीमती पुष्पा के हक में जारी की जा चुकी थी। जिसके विरुद्ध अपीलान्ट अथवा उनके पूर्वजों के द्वारा कोई कार्यवाही अन्दर मियाद नहीं की गयी। जिससे उक्त आदेश अंतिम आदेश हो चुका है। श्रीमती पुष्पा के द्वारा वादगत कृषि भूमि का विक्रय दिनांक 06.01.2017 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा के हिम्मत सिंह व पदम सिंह को किया जा चुका है। जिनके नाम का अंकन जरिये नामान्तरणकरणसं० 1097 दिनांक 22.06.2017 के राजस्व रिकार्ड में किया जा चुका है। क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस आधार पर भी अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने अपने दावे में आवंटी की जानकारी पटवारी हल्का से होना तथा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि दिनांक 01.08.2019 को अप्रार्थीगण व कुछ अन्य व्यक्तियों का मौके पर आने से जानकारी होना अंकित किया है। कथनों में भिन्नता होने के कारण मियाद की छूट नहीं दी जा सकती। आवंटन अधिकारी के समक्ष अपीलान्टगण पक्षकार नहीं थे। इसलिए अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्टगण केवल न्यायालय की ईजाजत से ही अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने से हेतु न्यायालय से ईजाजत प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया इस आधार पर भी आदेश जैर अपील काबिज निरस्त के है। अपीलान्ट ने दिनांक 13.11.2019 को रेस्पोजेन्ट हिम्मत सिंह व पदम सिंह के विरुद्ध एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गयी जिसमें खेत में चोरी करने, फसल उठाने का आरोप लगाया था जिसमें अपीलान्ट अपना कब्जा व काश्त साबित नहीं कर पाया जिसका निर्णय दिनांक 03.04.2024 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट सं० 1 बीकानेर द्वारा उक्त प्रकरण को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त बहस के आधार पर अपील अपीलान्त मय हर्जा खर्चा के खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि अपील पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत् 2014 में खसरा 134 तादादी 168.15 बीघा भूमि काना वल्द आशा कौम थोरी साकिन देह काश्तकार के नाम दर्ज होना है। जमाबन्दी की छायाप्रति पत्रावली के संलग्न है। आराजीराज भूमि ग्राम कावनी के खेत खसरा नं० 134 में 168.15 बीघा भूमि में से 30 बीघा भूमि का रेस्पो० संख्या 01 को बतौर टी.सी. आवंटन फरमाया गया। उक्त टी.सी. आवंटन को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को टी.सी. आवंटन से पुख्ता आवंटन कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 16.01.2020 को प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके जवाब में अपीलांत वकील ने दिनांक 22.06.2022 को जवाब प्राथमिक आपत्ति पेश किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र के बिन्दु ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अंतिम लिखित बहस में अंकित है। जिस कारण प्राथमिक आपत्ति का निस्तारण भी अंतिम निर्णय में किया जा रहा है। प्रकरण में जहाँ तक मियाद का प्रश्न है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि उक्त अपील में अपीलाधीन आदेश क्रमशः 03.08.2007 जिसके विरुद्ध अपीलान्त अथवा उनके पूर्वजों के द्वारा कोई कार्यवाही अन्दर मियाद नहीं की गयी। अपीलान्त ने अपने दावे में आवंटी की जानकारी पटवारी हल्का से होना तथा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 01.08.2019 को अप्रार्थीगण व कुछ अन्य व्यक्तियों का मौके पर आने से जानकारी होना अंकित किया है कथनों में भिन्नता होने के कारण मियाद की छूट नहीं दी जा सकती। उक्त अपील में अपीलांत के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर तथ्य सामने आया कि अपीलांत को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 01.08.2019 को अप्रार्थीगण व कुछ अन्य व्यक्तियों का मौके पर आने से हुई तथा अपीलांत ने अपील मीमों के बिन्दु संख्या 2 में लिखा है कि उक्त विवादित भूमि का एक वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के समक्ष कर रखा है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2012 से अन्य आदेश तक रिकार्ड कि स्थिति यथावत रखने का आदेश जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के दौरान उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांत को वर्ष 2012 में होने के बावजूद उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 28.08.2019 को मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपीलांत द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के बावजूद देरी के कारण स्पष्ट रूप से सही प्रकट नहीं किए जिस कारण उक्त अपील मियाद बाहर शुमार की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त अपील मियाद बाहर होने के कारण अपील अपीलांत अस्वीकार कर मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है। यह निर्णय आज दिनांक 02/08/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
एवं राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर